भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1984
03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

नदी के बालू की कमी

1984. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्रः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ग्रामीण और शहरी आवासन सहित निर्माण क्रियाकलापों के लिए नदी के बालू की कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कमी को पूरा करने और किफायती दरों पर निर्माण कार्यों हेतु नदी की बालू की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का जलाशयों और नदी के किनारों पर जमा बालू को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : राज्य सरकारें अपनी संबंधित सीमाओं के भीतर अवस्थित खनिजों की अभिरक्षक होती हैं। राज्य, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत खनिज रियायतें प्रदान करते हैं। एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत गौण खनिजों के लिए, खनिज रियायतें प्रदान करने, विनियमन और प्रशासन हेतु सभी नीति और विधान राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। चूंकि, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3(ड.) के तहत बालू एक गौण खनिज है इसलिए देश में बालू की मांग एवं आपूर्ति संबंधी जानकारी को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

खान मंत्रालय ने राज्यों में प्रचलित सर्वोत्तम पद्धतियों और बालू खनन में सततता, उपलब्धता, किफायतता और पारदर्शिता के उद्देश्यों के आधार पर सुझावों को शामिल करते हुए राज्यों के खनन विभागों के साथ विचार-विमर्श करके एक बालू खनन ढांचा तैयार किया है।

*****